



File No.2/Adviosry/EDRB/NDC/2026/M-2672

Dated: 14 October, 2026

ADVISORY
All Registered Dental Practitioners across the Country

Sub: - Unethical Social Media Promotion and Advertising by Registered Dentists - Regarding

It has come to the notice of the National Dental Commission that certain dental practitioners and establishments are engaging in potentially unethical promotional activities on social media, including recording and broadcasting consultations and dental procedures, publishing patient testimonials and before-and-after photographs, making misleading treatment claims, disseminating inaccurate health information, engaging in self-aggrandizing publicity, and displaying disproportionately large signboards.

2. In accordance with the applicable statutory provisions and Chapter VI (Unethical Acts), Clauses 8.1, 8.2 and 8.3 of the Revised Dentists (Code of Ethics) Regulations, 2014, all registered dental practitioners are advised to strictly adhere to professional ethics governing advertising, patient solicitation, confidentiality, publicity and signage.
3. Any established violation may invite appropriate disciplinary action, including issuance of a show-cause notice, suspension or removal from the State and National Register of Dentists, as permissible under applicable law.
4. All registered dental practitioners are directed to take due note of this Advisory and ensure strict compliance with the applicable regulations to uphold patient dignity, confidentiality and the integrity of the dental profession.
5. This Advisory shall take effect immediately, subject to the statutory powers of the issuing authority.
6. This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Lt. Gen. (Retd.) Tapas Kumar Bandyopadhyay)
Member, Ethics and Dental Registration Board (EDRB),
National Dental Commission

C.C.

Guard File



फ़ाइल नंबर 2/एडवाइज़री/WDRB/NDC/2026/M-2672

तारीख: २४ अक्टूबर, 2026

सलाह
देश भर के सभी रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टीशनर

विषय: पंजीकृत दंत चिकित्सकों द्वारा सोशल मीडिया पर अनैतिक प्रचार एवं विज्ञापन के संबंध में

राष्ट्रीय दंत आयोग के संज्ञान में आया है कि कुछ दंत चिकित्सक एवं दंत चिकित्सा प्रतिष्ठान सोशल मीडिया पर संभावित रूप से अनैतिक प्रचार गतिविधियों में संलिप्त हैं। इनमें परामर्श एवं दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग एवं प्रसारण, मरीजों के प्रशंसापत्र तथा उपचार से पहले और बाद के फोटो प्रकाशित करना, उपचार संबंधी भ्रामक दावे करना, स्वास्थ्य संबंधी गलत जानकारी प्रसारित करना, स्वयं की उपलब्धियों का अतिरंजित प्रचार करना तथा अत्यधिक बड़े आकार के साइनबोर्ड प्रदर्शित करना शामिल है।

2. लागू वैधानिक प्रावधानों तथा संशोधित दंत चिकित्सक (आचार संहिता) विनियम, 2014 के अध्याय VI (अनैतिक कार्य) के खंड 8.1, 8.2 एवं 8.3 के अनुसार, सभी पंजीकृत दंत चिकित्सकों को विज्ञापन, मरीजों को अपने उपचार हेतु आकर्षित करने, गोपनीयता, प्रचार एवं साइनबोर्ड से संबंधित व्यावसायिक नैतिक मानकों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है।
3. किसी भी उल्लंघन की पुष्टि होने पर, लागू कानून के अंतर्गत यथानुमेय सीमा तक कारण बताओ नोटिस जारी करने, पंजीकरण निलंबित करने अथवा दंत चिकित्सकों के राज्य एवं राष्ट्रीय रजिस्टर से नाम हटाने सहित उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
4. सभी पंजीकृत दंत चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस परामर्शिका का संज्ञान लें तथा मरीजों की गरिमा, गोपनीयता और दंत चिकित्सा व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं अखंडता बनाए रखने हेतु लागू विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
5. यह परामर्शिका जारीकर्ता प्राधिकारी की वैधानिक शक्तियों के अधीन, तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
6. यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी की जाती है।

भवदीय,

(लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तापस कुमार बंधोपाध्याय)
सदस्य, नैतिकता एवं दंत पंजीकरण बोर्ड (EDRB)
राष्ट्रीय दंत आयोग

प्रतिलिपि:
गार्ड फाइल